न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 78A / 21 GCMS id : 2021 / 134

1. सुन्दर बाई पत्नी छीतरलाल गोस्वामी
2. जितेन्द्र गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी
3. मारकेश्वर गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी

जाति गुसाई, निवासी रंगेश्वर महादेव मन्दिर के पास, सीमेन्ट गोदाम की गली, नेहरू नगर, रंगपुर रोड, कोटा जंक्शन, कोटा

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री सुधीन्द्र यादव, अभिभाषक वादीगण

निर्णय

दिनांक : 24.06.2024

1. वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व निषेधाज्ञा, न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 186 रकबा 0.99 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 152 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, उक्त भूमि में मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र चुन्नी गिरी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है तथा वर्तमान में भी दर्ज है।
   - वादीगण के पिता व पति स्व. छीतरलाल गोस्वामी पुत्र धन्नालाल उर्फ नागा जी गोस्वामी के पक्ष में दिनांक 26.06.1990 को एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा स्व. श्रीमती धन्नीबाई द्वारा तहसील मांगरोल में आलेखित करवाया गया था जो उप पंजीयक, मांगरोल, जिला बारां के यहाँ पंजीकृत है। जो वसीयत पंजीकृत की गई है, उसके द्वारा उक्त आराजी का हक एवं अधिकार वादीगण के पिता व पति को दिया गया है।
   - इसके आधार पर वादीगण के पिता व पति स्व. छीतरलाल गोस्वामी स्व. श्रीमती धन्नी बाई के वसीयती वारिस होने के कारण स्व. छीतरलाल गोस्वामी के खाते दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु आज दिन तक भी उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में स्व. छीतरलाल गोस्वामी के नाम दर्ज नहीं की गई है।
   - स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल व स्व. धन्नी बाई दोनों आपस में सगे भाई बहन थे। इनमें धन्नी बाई, का भी काफी समय पूर्व देहान्त हो चुका है। तथा मांग्या उर्फ मांगीलाल भी धन्नीबाई के जीवनकाल में ही कुंवारा फोत हो चुका है।
   - स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल के कुंवारा फोत हो जाने पर श्रीमती धन्नी बाई उसकी उत्तराधिकारी बनी तथा काबिज काश्त रही परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा जान बूझकर उसका नाम स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल के स्थान पर दर्ज नहीं किया गया।
   - उक्त वसीयत को आज तक भी किसी के द्वारा चेलेन्ज नहीं किया गया है और उक्त वसीयत रजिस्टर्ड होने से फर्जी होने का लेसमात्र भी अन्देशा नहीं है।
   - उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आज तक भी कोई परिवर्तन नहीं किये जाने के कारण उक्त भूमि आज भी मांग्या उर्फ मांगीलाल के नाम से ही खाते दर्ज चली आ रही है।
   - वादी के पिता व पति छीतरलाल गोस्वामी द्वारा अपने जीवन काल में उक्त भूमि को उक्त वसीयत के आधार पर स्वयं के नाम दर्ज करवाने का प्रयास किया परन्तु राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते उक्त भूमि स्व. छीतरलाल गोस्वामी के खाते दर्ज नहीं हो सकी और दिनांक 03.03.2009 को छीतरलाल गोस्वामी का भी स्वर्गवास हो गया।

- इसके पश्चात वादीगण ने भी काफी प्रयास किया कि उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज की जावे क्योंकि वादीगण छीतरलाल गोस्वामी के वैध वारिस पत्नी व दो पुत्र है।
- उक्त भूमि पर काफी वर्षो पूर्व से वादीगण का ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं वादीगण के पूर्व स्व. छीतरलाल गोस्वामी का उक्त भूमि पर कब्जा था। स्व. छीतरलाल गोस्वामी अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को काश्त करते रहे है, उनके बाद वादीगण उक्त भूमि को काश्त कर रहे है तथा पहले स्व. धन्नी बाई, मांग्या उर्फ मांगीलाल के देहान्त के बाद काश्त करती रही थी। स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को रहन रख दिया था परन्तु कब्जा कभी नहीं दिया था तथा स्वयं के जीवनकाल में ही उक्त रहन राशि को उसके द्वारा अदा कर दिया गया था परन्तु उसका भी नोट राजस्व रिकार्ड में आज तक चला आ रहा है, जिसको भी हटाया जाना आवश्यक है।
- वादीगण द्वारा उक्त भूमि को स्वयं के खाते दर्ज करवाने के लिये कई बार तहसील लाडपुरा में सम्पर्क किया गया तथा प्रार्थना पत्र भी दिये, परन्तु तहसील वालों ने वादीगण के खाते दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। अन्तिम बार दिनांक 29.10.2021 को निवेदन किया परन्तु तहसील वालों द्वारा वादीगण के खाते दर्ज करने से इन्कार करने पर उक्त वाद का वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
- अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी व्यादेश की डिक्री पारित की जावे कि राजस्व रिकार्ड में स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल के 1/2 हिस्से के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा मांग्या द्वारा रहन नामे का जो नोट राजस्व रिकार्ड में आ रहा है, उसे भी हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे व वादीगण को खातेदारी प्रदान की जावे।
- वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये

(1) प्रदर्श–1A पंजीकृत वसीयत की फोटोप्रति
(2) प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057
(3) प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत 2031–2034
(4) प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत 2035–2038
(5) प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057
(6) प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074
(7) प्रदर्श–7A सुन्दर बाई के आधार कार्ड संख्या 8818.0262.9901 की फोटोप्रति
(8) प्रदर्श–8A तारकेश्वर गोस्वामी के आधार कार्ड संख्या 8236.6150.3680 की फोटोप्रति
(9) प्रदर्श–9A जितेन्द्र गोस्वामी के आधार कार्ड संख्या 7644.7876.3543 की फोटोप्रति

3. प्रकरण में प्रतिवादी को जवाब/साक्ष्य आदि पेश किये जाने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब/साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादी के जवाब/साक्ष्य बन्द किये गये।

वादीगण की ओर से वादी गवाह सुन्दर बाई पत्नी स्व. छीतरलाल गोस्वामी के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादी की ओर से जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं होने के कारण जिरह बन्द की गई। वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई, जिसमें वादी अभिभाषक द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि –

- ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 186 रकबा 0.99 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 152 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, उक्त भूमि में मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र चुन्नी गिरी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल की बहन धन्नी बाई द्वारा वादीगण के पिता व पति स्व. छीतरलाल गोस्वामी पुत्र धन्नालाल उर्फ नागा जी गोस्वामी के पक्ष में दिनांक 26.06.1990 को एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा तहसील मांगरोल में आलेखित करवाया गया था जो उप पंजीयक, मांगरोल, जिला बारां के यहॉ पंजीकृत है। इसके आधार पर वादीगण के पिता व पति स्व. छीतरलाल गोस्वामी स्व. श्रीमती धन्नी बाई के वसीयती वारिस होने के कारण स्व. छीतरलाल गोस्वामी के खाते दर्ज कराये जाने का अधिकारी था परन्तु राजस्व रिकार्ड में आज दिन तक भी उक्त वसीयत के आधार पर स्व. छीतरलाल गोस्वामी के नाम दर्ज नहीं की गई है। स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल व स्व. धन्नी बाई दोनों आपस में सगे भाई बहन थे। इनमें धन्नी बाई का भी काफी समय पूर्व देहान्त हो चुका है तथा मांग्या उर्फ मांगीलाल भी धन्नीबाई के जीवनकाल में ही कुंवारा फोत हो चुका है। स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल के कुंवारा फोत हो जाने पर श्रीमती धन्नी बाई उसकी उत्तराधिकारी बनी तथा काबिज काश्त रही परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा जान बूझकर उसका नाम स्व. मांग्या उर्फ

मांगीलाल के स्थान पर दर्ज नहीं किया गया। उक्त वसीयत को आज तक भी किसी के द्वारा चेलेन्ज नहीं किया गया है और उक्त वसीयत रजिस्टर्ड होने से फर्जी होने का लेसमात्र भी अन्देशा नहीं है। उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आज तक भी कोई परिवर्तन नहीं किये जाने के कारण उक्त भूमि आज भी मांग्या उर्फ मांगीलाल के नाम से ही खाते दर्ज चली आ रही है। वादी के पिता व पति छीतरलाल गोस्वामी द्वारा अपने जीवन काल में उक्त भूमि को उक्त वसीयत के आधार पर स्वयं के नाम दर्ज करवाने का प्रयास किया परन्तु राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते उक्त भूमि स्व. छीतरलाल गोस्वामी के खाते दर्ज नहीं हो सकी और दिनांक 03.03.2009 को छीतरलाल गोस्वामी का भी स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात वादीगण ने भी काफी प्रयास किया। उक्त भूमि पर काफी वर्षों पूर्व से वादीगण का ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं वादीगण के पूर्व स्व. छीतरलाल गोस्वामी का उक्त भूमि पर कब्जा था। स्व. छीतरलाल गोस्वामी अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को काश्त करते रहे है, उनके बाद वादीगण उक्त भूमि को काश्त कर रहे है तथा पहले स्व. धन्नी बाई, मांग्या उर्फ मांगीलाल के देहान्त के बाद काश्त करती रही थी। स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को रहन रख दिया था परन्तु कब्जा कभी नहीं दिया था तथा स्वयं के जीवनकाल में ही उक्त रहन राशि को उसके द्वारा अदा कर दिया गया था परन्तु उसका भी नोट राजस्व रिकार्ड में आज तक चला आ रहा है, जिसको भी हटाया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि को स्वयं के खाते दर्ज करवाने के लिये कई बार तहसील लाडपुरा में सम्पर्क किया गया तथा प्रार्थना पत्र भी दिये, परन्तु तहसील वालों ने वादीगण के खाते दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। अन्तिम बार दिनांक 29.10.2021 को निवेदन किया परन्तु तहसील वालों द्वारा वादीगण के खाते दर्ज करने से इन्कार करने पर उक्त वाद का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी व्यादेश की डिक्री पारित की जावे कि राजस्व रिकार्ड में स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल के 1/2 हिस्से के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा मांग्या द्वारा रहन नामे का जो नोट राजस्व रिकार्ड में आ रहा है, उसे भी हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे व वादीगण को खातेदारी प्रदान की जावे।

– वादी वकील द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई।

4. हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिसके आधार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- ☞ वादीगण के उक्त दावे का मुख्य आधार, वादीगण के पिता व पति स्व. छीतरलाल गोस्वामी के पक्ष में की गई वसीयत है।
- ☞ उक्त वसीयत में ग्राम अरण्डखेडा की भूमि होना तो अंकित है किन्तु उक्त भूमि के खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के कारण प्रामाणिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वसीयत प्रकरण का विवादित आराजी के सम्बन्ध में ही की गई है अथवा नहीं।
- ☞ सबसे बडी बात कि यह है विवादित आराजी आज भी मांग्या पुत्र चुन्नी गिरी के खाते दर्ज है। यदि, वसीयतकर्ता धन्नी बाई ही स्व. मांग्या उर्फ मांगीलाल की वारिस थी तो विवादित आराजी के खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल की मृत्यु उपरान्त धन्नी बाई द्वारा अपने नाम इन्तकाल क्यों नहीं खुलवाया गया।
- ☞ विवादित आराजी आज भी मांग्या पुत्र चुन्नी गिरी के खाते दर्ज होने के कारण, धन्नी बाई के स्व. मांग्या का एकमात्र वारिस होने के बावजूद भी, विवादित आराजी धन्नी बाई के खाते दर्ज नहीं होने के कारण वसीयतकर्ता धन्नीबाई को उस आराजी (सम्पत्ति) की वसीयत करने का कोई अधिकार ही नहीं है जो उसके नाम दर्ज नहीं है।
- ☞ इस प्रकार उक्त वसीयत के आधार पर स्व. छीतरलाल गोस्वामी अथवा उसके वारिसान वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

5. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/6/24

(श्रीमती सपना कुमावत)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

बउनवान :–

1. सुन्दर बाई पत्नी छीतरलाल गोस्वामी
2. जितेन्द्र गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी
3. मारकेश्वर गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी
   जाति गुसाई, निवासी रंगेश्वर महोदव मन्दिर के पास, सीमेन्ट गोदाम की गली, नेहरू नगर, रंगपुर रोड, कोटा जंक्शन, कोटा

– वादीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– प्रतिवादी

दावा बाबत : 88, 89,92A RTA
मुकदमा नम्बर : 78A / 21 (GCMS id : 2021/134)
निर्णय दिनांक : 24-06-2024

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव, की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 24–06–2024 को पेश होने पर पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 24 जून, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		